

11-6-12  
वकील वाली ने मूल वाद के साथ प्रा. पत्र  
212 रि. अ. पेश किया। दर्ज रजि. था। वकील  
प्राधी की एक पक्षीय बहस बुनी। रिमांड का  
अवलोकन किया। प्राधी का प्राइमरी साई कैस  
साफ है।

अतः अप्राधीगण को आगामी तारीख पेशी  
28-6-12 तक जरिये असाई निषेधाज्ञा सबन्द  
किया जाता है कि विवाहित आरजी हाल ख. नं.  
1518, 1499, 1519 वाले ग्राम गूगल कोल तह. कस्बे  
के 1/6 भाग के राजस्व रिमांड की सहाय्यता के लिए  
रखे। जो भी उग्र हो नियत दिनांक 28-6-12 को  
उपस्थित होना पेश करे। तब ही अप्राधीगण जारी की  
पत्रावली दिनांक 28-6-12 को पेश की जाएगी।

सहायक कलेक्टर  
बहरोड (अखिल)

28-6-12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच  
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान  
उप. पत्रावली दिनांक 11/07/12  
को पेश हो। तब तक न. की अपील नहीं आती है।

सहायक कलेक्टर बहरोड

1-10  
2 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच  
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान  
उप. पत्रावली दिनांक 11/07/12  
को पेश हो। तब तक न. की अपील नहीं आती है।

सहायक कलेक्टर बहरोड

17-12-12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच  
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान  
उप. पत्रावली दिनांक 11/03/13  
को पेश हो। तब तक न. की अपील नहीं आती है।

सहायक कलेक्टर बहरोड

8/10/2014 आज रात पत्रावली घेबा दुई ...  
तवील उपरिबात है ... को समझ  
जाते है। पत्रावली वास्तु ...  
दिनांक ... को भेजा है।

उपर्युक्त अधिकारी  
नीमराना (कोटपतली-बहरोड)

27/12/24 आज रात पत्रावली घेबा दुई ...  
के साथ पेश हुआ। पत्रावली में ...  
वाक्य को महम पेशी व इफ्तदा राजरी  
में शारील फिदा जा चुका है।

अतः पत्रावली 212 को भी महम  
पेशी व महम राजरी में शारील  
फिदा जाता है। पत्रावली में सब  
सुझा होकर नम्बर से कम हो। बाद  
इति संलग्न मूल-वाक रहे।

उपर्युक्त अधिकारी  
नीमराना (कोटपतली-बहरोड)